uxj ifj"kn jkgM] ftyk f'keyk] fgekpy in'k d y[kkvk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu

vof/k 04@2010 l 03@2012

Hkkx&,d

1 ikjfEHkd %&

¼d½ ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद रोहड़ू, जिला षिमला के अवधि 4/10 से 3/12 लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

Yk[kk ijh{kk/khu vof/k d nkjku uxj ifj"kn jkgM e fuEufyf[kr i/kku rFkk dk;dkjh vf/kdkjh rukr Fk%&

i/kku %&

Øe l[;k	i/kku dk uke	rukrh dh vof/k
1	श्री सुरेन्द्र रेटका	1.4.2010 से 22.01.2011
2	श्री राजकुमार भ्रान्टा	23.01.2011 से 31.03.2012

Dk;dkjh vf/kdkjh%&

1	श्री प्यारे लाल तहसीलदार	1.4.2010 से 5.08.2010
2	श्री डी0एस0 चौहान नायब तहसीलदार	06.08.2010 से 31.3.2012

(ख) नगर परिषद रोहड़ू जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखा अवधि 01-04-2010 से 31-03-2012 तक अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	नगर परिषद की वित्तीय स्थिति तथा बैंक में जमा राषि में अन्तर के बारे में	4 (च)	3.48
2	उचित वित्तीय प्रबन्धन न किये जाने पर लगभग अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना	6	5.00
3	दुकानों/स्टालों के किरायेदारों से दिनांक 31.3.12 को वसूली हेतु षेष पाया जाना	8 (क)	8.87
4	दुकानों /स्टालों के किराये में नियमानुसार बढ़ौतरी न करने के कारण परिषद का लगभग हानि	8 (ख)	0.41
5	गृहकर की मॉग तथा प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना तथा गृहकर की षेष राषि में से नाममात्र ही वसूली करना	9 (क)	72.63
6	सरकार के अनुमोदन बिना गृहकर की छूट प्रदान करना	9 (ख)	0.60
7	नगर परिषद रोहड़ू की सीमा में लगे मोबाईल टावरों से निर्घारित षुल्क की वसूली न करने के कारण बी0एस0एन0एल0 कम्पनी से कम प्राप्त करना	10	0.30
8	वाहनों के डीजल पर लगभग अनुमानित/अनियमित व्यय	20	0.79
9	संशोधित वेतन की गलत गणना का अधिक भुगतान	21 (क)	0.35
10	अनुबन्ध कर्मचारियों का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान करना	22	0.18
11	उचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में पैन्षन फण्ड व ग्रेच्यूटी फण्ड में जमा राषि से लगभग अतिरिक्त ब्याज आय से वंचित होना	26 (ग)	1.13

¼x½ xr vads{k.k ifrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "A" पर दर्षाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

नगर परिषद रोहड़ू, जिला षिमला के अवधि 04/2010 से 03/2012 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, सर्व श्री सुरेष चन्द गुप्ता, सहायक नियन्त्रक तथा मनजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 3.07.2012 से 22.8.2012 के दौरान रोहड़ू में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच पड़ताल हेतु मास 12/2010 व 05/2011 आय पक्ष के लिए व मास 8/2010 तथा 03/2012 का व्यय पक्ष के लिए चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद रोहड़ू द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, परिषद द्वारा प्रदान गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 vads{k.k 'kqYd %&

नगर परिषद रोहड़ू, जिला षिमला, के अवधि 04/2010 से 03/2012 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क की ₹19200/–बनती है। सहायक नियन्त्रक द्वारा अधियाचना संख्या 279, दिनांक 21.8.2012 जारी करके उपरोक्त अंकेक्षण षुल्क की राषि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष षिमला–9 को षिमला को षीध्र भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

4 foÙkh; fLFkfr %&

¼d½ नगर परिषद रोहड़ू की अवधि 4/2010 से 3/2012 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है:–

o"k	ikjfEHkd 'k"k	ikfIr;k	;kx	0;;	vUr'k"k
2010–2011					
स्वयं संसाधन	122239.79	2741754.81	2863994.60	2567724.00	296270.60
अनुदान	1499164.00	6244345.00	7743509.00	3700707.00	4042802.00
;kx	1621403-99	8986099-81	1060750360-00	6268431-00	4339072-60
2011–2012		(As per Rough Sheet) Page 141/C)			
स्वयं संसाधन	296270.60	1684323.00	1980593.60	1340062.00	640531.60
अनुदान	4042802.00	13118494.00	17161296.00	6108080.00	11053216.00
	4339072.60	14802817.00	19141889.60	7448142.00	11693747.60

¼[k½ रोकड़ वही अनुसार दिनांक 31.3.2012 को अन्तषेष ₹11693747-60

¼x½ विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.2012 को जमा राषि का विवरण:–

		Tkek jkf'k
(i)	पी0एन0बी0 खाता संख्या 10253	10743332.00
(ii)	हि0प्र0 को0ओ0 बैंक खाता संख्या 5987	474614.60
(iii)	यूको बैंक खाता संख्या 12872	58341.00
(iv)	भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0 11296051171	9753.19
(v)	भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0 11296051182	6485.99
(vi)	सावधि निवेष यूको बैंक खाता संख्या 03580300000958	743019.00
(vii)	सरकारी कोष मे ंजमा राषि (पी0एल0ए0)	6045.00

बैंक में जमा कुल राषि ₹12041590-78

¼?k½ वित्तीय स्थिति व बैंक जमा में अन्तर (₹12041590.78 (–) ₹11693747.60 = ₹347843.18)

¼3½ अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से पाया गयाः–

¼i½ रोकड़ वही के षेष तथा आय–व्यय जो गलत दर्षाए गएः–

fnukad	fooj.k	jkf'k
27.07.2010	आय1287540 के स्थान पर 1287530 ही ली गई	(+) 10
24.03.2011	ब्याज प्राप्ति 3528 के स्थान पर 3526 ही ली गई खाता संख्या 10256 पी0एन0बी0	(+) 2
29.01.2011	बैंक में 108 के स्थान पर 110 जमा खाता संख्या 5987 को0ओपरेटिव बैंक	(+) 2
19.08.2011	आय 4370 के स्थान पर 4360 ही ली गई	(+)10
31.10.2011	आय 3918 के स्थान पर 3880 ही ली गई	(+) 38
4.01.2012	आय 6970 के स्थान पर 6790 ही ली गई	(+) 180
14.02.2012	आय 3558 के स्थान पर 58 ही ली गई	(+) 3500
31.3.2012	व्यय पक्ष के योग 906232 के स्थान पर 906432 लिए गए	(+) 200
30.6.2010	व्यय पक्ष के योग 181292 के स्थान पर 357200 लिए गए	(+) 175908
30.11.2010	व्यय पक्ष के योग 654442 के स्थान पर 654422 लिए गए	(–) 20
7.12.2010	व्यय चैक राषि 16147 के स्थान पर 16167 दर्षाई गई	(+) 20
23.03.2011	व्यय राषि 16606 के स्थान पर 16404 दर्षाई गई	(–) 2
31.03.2011	आय की राषि 3347344 के स्थान पर 334704 ली गई	(+) 40
30.04.2011	आय की राषि 3410643 के स्थान पर 34151643 ली गई	(–) 5000
30.06.2011	आय पक्ष के योग 44057 के स्थान पर 45057 लिए गए	(–) 1000
06.06.2011	खाता संख्या 1336 की राषि दूसरे खाता में हस्तांतरित करते समय इसे गलत प्रकार से आय के रूप में जोड़ लिया गया	(–) 2823

30.04.2010	मास की आय 135686 के स्थान पर 148186 ली गई	(–)12500	
24.03.2011	बचत खातों से हस्तांतरित राषि को गलत प्रकार से आय दर्षाया गया खाता सं0 1336 व 5987	(–) 2092	
2.03.2012	आय 3026 के स्थान पर 3076 दर्षाई गई	(–) 50	
31.03.2012	आय पक्ष का योग मास में 417875 के स्थान पर 406650 लिया गया	(+) 11225	¼$½ 167648

¼ii½ बैंक में सीधे प्राप्त आय परन्तु रोकड़ वही में लेखा बद्ध नहीं:–

29.03.2011	आबकारी एवं काराधान विभाग से प्राप्त राषि खाता संख्या 5987	8220	
25.04.211	आबकारी एवं काराधान विभाग से प्राप्त राषि खाता संख्या 5987	162583	¼$½170803

¼iii½ बैंक से प्राप्त ब्याज परन्तु रोकड़ वही में लेखाबद्ध नहीं:–

30.9.2011	खाता सं. 5987 को0ओापरेटिव बैंक	13284	
06.07.2011	खाता सं0 12872 यूको बैंक	1020	
09.01.2012	खाता सं0 12872 यूको बैंक	1153	
30.06.2011	खातासं0 51182 एस0बी0आई0	113	
31.12.2011	खातासं0 51182 एस0बी0आई0	128	
30.06.2011	खातासं0 51171 एस0बी0आई0	364	
31.12.2011	खातासं0 51171 एस0बी0आई0	193	
5.09.2011	खाता सं0 3580300000958 सावधि लेखा यूको बैंक	43019	
07.06.2010	खाता सं0 3377 को0ओपरेटिव बैंक	363	
29.11.2010	खाता सं0 5987 को0ओपरेटिव बैंक	390	¼$½60027

¼**iv**½ चैक जारी किये गए परन्तु बैंक में भुगतान नहीः–

1.08.2011	चैक सं0 8371635	535	
03.10.2011	चैक सं0 8371653	80	
31.03.2012	चैक सं0 392204	3000	¼$½ 3615

(v) बैंक द्वारा डेबिट राषि परन्तु रोकड़ वही में दर्ज नहींः–

28.01.2012	चैक सं0 8371685 जारी किया गया परन्तु रोकड़ वही में लेखांकित नहीं/वाउचर सं0 27 (स्ट्रीट लाईट बिल)	32093	
16.05.2011	बैंक चार्जिज बैंक ने लिए परन्तु रोकड़ वही में नहीं खातासं0 1053 पी0एन0बी0	10	
22.01.2011	व्यय चैक राषि 40999.00 के स्थान पर 40499 रोकड़ वही मे लेखाकिंत नहीं		
18.09.2010	बैंक चार्जिज डेबिट परन्तु रोकड़ वही में नहीं (पी0एन0बी0 खाता सं0 10253)	5	¼&½32608

¼**vi**½ पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन की वित्तीय स्थिति/बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.3.2010 से पूर्व की राषियॉ जो वर्तमान अवधि में समायोजित की गईः–

(1)	पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार दुर्विनियोजन की राषि जो वित्तीय स्थिति में सम्मिलित हैः–	(–) 38712
(2)	पास बुक संख्या 51171 भरतीय स्टेट बैंक में दिनांक 31.03. 2010 को ₹16526 दर्षाई गई जबकि वास्तव में यह राषि ₹29967.19 षेष थी	(+) 13441.19

(3)	पास बुक खाता संख्या 51182 भारतीय स्टेट बैंक में ₹9721/–ली गई जबकि यह राषि ₹6031.99 पाई गई।	(–) 3689.01	
(4)	आय जो 31.3.2010 को प्राप्त हुई परन्तु बैंक खाता संख्या 5987 में मास 4/2010 को जमा हुई।	(+) 7318.00	¼&½21641-82
	d|y vUrj dk ;kx		₹347843-18

¼p½ uxj ifj"kn dh foÙkh; fLFkfr rFkk cSd esa tek jkf'k esa ₹247843-18 dk vUrj dk ckjs esa&

vUrj dk dkj.k& नगर परिषद की वित्तीय स्थिति तथा बैंक में जमा राषि में उक्त अन्तर ₹347843.18 जों कि आपतिजनक है। इस प्रकरण में नगर परिषद में रोकड़ वही की जॉच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही के षेष उचित प्रकार से नहीं निकाले जा रहे थे तथा अन्तषेष निकाल कर बैंक के साथ मिलान करके समाधान विवरणी को भी तैयार नहीं किया गया पाया गया तथा न ही मासांत में निकाले गए रोकड़ वही के षेष का विवरण देकर यह ही सत्यापित किया गया कि अन्त षेष की राषि में से कितनी राषि हस्तगत है तथा षेष राषि किस–2 बैंक में जमा है। इस प्रकार पूर्व में भी रोकड़ वही का बैंक षेष से ठीक ढ़ंग से मिलान नहीं किया गया। वर्तमान अंकेक्षण में रोकड़ वही/बैंक समाधान विवरणी में अनेकानेक त्रुटियॉ पाई गई जिनका विस्तृत उल्लेख उपरोक्त वर्णित पैरा 4 (ङ) में दिया गया है। अतः रोकड़ वही को उचित प्रकार से लेखांकित न करना, बैंक जमा के साथ रोकड़ वही का मिलान न किया जाना अपने–आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उपरोक्त वर्णित अन्तरों को ध्यान में रखते हुए भी रोकड़ वही के रख रखाव में आवष्यक सुधार व अन्तरों का मिलान किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

5 lkof/k fuos'k&

¼d½ नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर दिनॉक 31.3.2012 को ₹743049 ⁄ –सावधि जमा योजना में निवेषित थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

fnukad	lkof/k l0	cSd dk uke	fuosf'kr jkf'k	Ykkxw C;kt nj
05.09.2011	03580300000958	यूको बैंक रोहड़ू	743019	9.5%

¼[k½ नगर परिषद द्वारा समय–समय पर किये गये सावधि निवेष की जॉच करने पर पाया गया कि बैंक द्वारा सावधि निवेष पर अर्जित ब्याज पर आयकर के रूप में टैक्स एट सोरस की कटौती की जा रही थी परन्तु परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि कितना ब्याज अर्जित हुआ तथा बैंक द्वारा अर्जित ब्याज पर कितनी कटौती की गई। अंकेक्षण द्वारा आवष्यक सूचना मॉगे जाने पर परिषद कार्यालय द्वारा बैंक से उपलब्ध हुई सूचना पर सूचित किया गया कि यूको बैंक द्वारा दिनांक 06.06.2008 से 25.06.2012 के दौरान आयकर के रूप में ₹40775 ⁄ –की कटौती अर्जित ब्याज पर की गई है। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उपरोक्त स्त्रोत पर काटी गई ₹40775 ⁄ –को आयकर विभाग में रिफण्ड लेने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा नगर परिषद के लेखो में कोई भी समायोजन रोकड़ वही में नहीं किया गया है केवल बैंक से प्राप्त षुद्ध राषि को ही आय के रूप में लिया गया है। अतः ₹40775 ⁄ –को आयकर के रूप में बैंक द्वारा कटौती किये जाने के पष्चात आयकर विभाग से आवष्यक रिफण्ड लिये जाने हेतु दावा प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आयकर विभाग के साथ ₹40775 ⁄ –के रिफण्ड लिए जाने हेतु मामला अविलम्ब उठाया जाए। इसके अतिरिक्त समय–2 पर किये गए सावधि में निवेष का अभिलेख तैयार करने के लिए सम्बन्धित रजिस्टर अविलम्ब तैयार किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

6 mfpr foŸkh; izcU/ku u fd;s tkus ij yxHkx ₹500000@&vfrfjDr C;kt dh vk; ls ofpr gksuk&

वित्तीय स्थिति की जॉच करने पर पाया गया कि अत्याधिक राषि बिना उपयोग के ही बचत खाता में पड़ी हुई पाई गई। वित्तीय स्थिति के आंकड़ों के अवलोकन पर पाया गया कि लगभग 40 लाख में 60 लाख तक की राषि उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए सावधि निवेष में निवेषित की जानी अपेक्षित थी जिससे परिषद को ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त हो सकती थी। यदि लगभग 50 लाख की राषि भी सावधि निवेष को गई होती तो 5% की दर से अतिरिक्त ब्याज के रूप में ₹250000/– प्रतिवर्ष की दर से दो वर्षों में लगभग ₹500000/–अधिक अर्जित होती जिससे परिषद को वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण का सुझाव है कि परिषद लेखा मे ंपड़ी अनुपयुक्त राषियों (जिसकी निकट भविष्य में आवष्यकता नहीं है) को सावधि लेखा में निवेषित किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

7 ljdkjh vuqnku&

नगर परिषद द्वारा अवधि 1.04.2010 से 31.03.2012 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि मे किये गये व्यय, दिनांक 31.3.2012 को पाए गए अन्तषेष तथा पूर्व की अनुपयुक्त अनुदान की राषियों का विवरण परिषिष्ट "क, ख व ग" पर दिया गया है। जॉच करने पर पाया गया कि वर्ष 2009–2010 से पूर्व अवधि के अनुदानों की षेष ₹1499164/–में से ₹985820/–ही व्यय की गई तथा दिनांक 31.03.2012 को ₹513344/–व्यय हेतु षेष पाई गई। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणाधीन अवधि में विभिन्न स्त्रोतों से ₹19362839/–अनुदान के रूप में प्राप्त हुई जिसमें से इस अवधि में उपरोक्त ₹985820/–के अतिरिक्त ₹8822967/–व्यय की गई तथा ₹10539872/–षेष पाई। इस प्रकार पूर्व अवधि की ₹513344/– तथा वर्तमान अवधि की ₹10539872 अर्थात कुल ₹11053216/–षेष थी। अतः अनुदान राषियॉ सम्बन्धित वर्षों में व्यय न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व षेष राषियों को अविलमब व्यय किये जाने बारे ठोस पग उठाए जाए अन्यथा षेष अनुदान राषियों को सम्बन्धित विभाग/सरकार को लौटाया जाए।

8 n|dkuk@LVkyk dk fdjk;s dh olwyh ds ckjs esa&

नगर परिषद की दुकानों/स्टालों के किराये इत्यादि की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼d½ n|dkuk@LVkyk ds fdjk;snkjks ls fnukad 31-3-12 dks olwyh gsrq ₹887960@&dk 'ks"k ik;k tkuk&

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान नगर परिषद की दुकानों/स्टालों के किराए की मांग वसूली व वसूली योग्य षेष/बकाया राषि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "घ" पर दिया गया है जिसमे 1.4.10 को प्रारम्भिक षेष ₹899911/–दर्षाया गया है जबकि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के सम्बन्धित परिषिष्ट पर 31.3.10 को अन्तषेष ₹905211/–था। इस प्रकार वर्तमान अवधि में प्रारम्भिक षेष की ₹5300/–(₹905211–₹899911) कम लिए जाने बारे कारण स्पष्ट किए जाए। इसके अतिरिक्त किराए के मांग व वसूली रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2012 को ₹887960/–किराएदारों से वसूली हेतु षेष है जो कि बहुत अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा इस ओर कोई विषेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस कारण प्रतिवर्ष यह राषि बढ़ती जा रही है। अतः सुझाव दिया जाता है कि इतनी अधिक बकाया राषि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼[k½ n|dkuk@LVkyk ds fdjk;s esa fu;ekuqlkj c<+kSrjh u djus ds dkj.k ifj"kn dks yxHkx ₹41555@&dh gkfu&

नगर परिषद की दिनांक 20.11.2009 को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 411 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन दुकानों/स्टालों का किराया ₹500/–से कम है उनका किराया ₹500/–होगा तथा जिन दुकानों का किराया ₹500 से ₹1000 तक है उनके किराये में 25% का बढ़ौतरी होगी तथा ₹1000/– से ऊपर देय किराए में 10% की बढ़ौतरी होगी। उक्त प्रस्ताव के माध्यम से यह निर्णय भी लिया गया कि 3 वर्षों प्ष्चात देय किराए में 10% की बढ़ौतरी होगी तथा दुकानदारों से 11 महीनों के लिए अनुबन्ध किया जाएगा व उसके पश्चात समय–समय पर इसका नवीनीकरण किया जाएगा। पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर

परिषद कार्यालय द्वारा निम्न वर्णित किराएदारों का किराया उक्त प्रस्तावानुसार नहीं बढ़ाया गया जिसके कारण परिषद को अंकेक्षणाधीन अवधि में लगभग ₹41555/—की हानि हुई जो कि प्रतिमाह बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दुकानों/स्टालों के किराएदारो से किए गए अनुबन्धों का कुछ प्रकरणों में समय पर नवीनीकरण भी नहीं किया जा रहा है जो कि अनियमित है। अतः इस प्रकार के समस्त प्रकरणों की सूची तैयार करके अनुबन्धों का तुरन्त नवीनीकरण करना सुनिष्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त दुकानों/स्टालों का किराया न बढ़ाने से नगर परिषद को ₹41555/—की हुई हानि की वसूली सम्बन्धित किराएदारों से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

Ø0 l0	fdjk,nkj dk uke o njdku l0	vof/k tc l fdjk, e c<krjh vif{kr t Fkh	ifr ekg dh xbl fdjk, dh olyh ¼₹½	ifr ekg fdjk, dh olyh tk curh Fkh ¼₹½	ifr ekg vfu;fer idkj l de olyh	vdk{k.kk/khu vof/k e dqy de olyh
1	प्राईमरी षिक्षा खण्ड अधिकारी रामलीला मैदान रोहड़ू भवन संख्या 94	(i) 11/09 से 3/10 (5 मास)	70	500	430	2150
		(ii) 4/10 से 3/12 (24 मास)	–	500	500	12000
2	श्री नरेष भ्रान्टा सपुत्र श्री मोहन सिंह दुकान नं0 95, रोहड़ू	11/09 से 3/12 (29 मास)	700	875	175	5075
3	श्रीमति भक्ति चौहान सुपुत्र स्व श्री बुद्धि सिंह, दुकान नं0 96, रोहड़ू	11/09 से 3/12 (29 मास)	700	875	175	5075
4	श्री अब्दुल रषीद, सपुत्र श्री गुलाम रसूल मीर	11/09 से 3/12 (29 मास)	3051	3356	305	8845

	दुकान नं0 72 रोहड़ू					
5	श्री मोहम्मद अयूब सपुत्र श्री गुलाम अहमद दुकान नं0 71, रोहड़ू	11/09 से 3/12 (29 मास)	1700	1870	170	4930
6	श्री सतीष षर्मा सुपुत्र श्री एन0सी0 षर्मा, दुकान नं0 59, रोहड़ू	11/09 से 3/12 (29 मास)	1200	1320	120	3480
					d|y ;kx	₹4155

¼x½ n|dkuk@LVkyk d fdjk; rFkk fdjk;nkjk }kjk foyEc l Hkxrku dju ij ikIr C;kt dk mfpr vfHky[k u j[kuk&

नगर परिषद द्वारा दुकानो/स्टालों को आबंटित करते समय किए गए अनुबन्धों की षर्तों के अनुसार किराएदार को प्रतिमाह 10 तारीख तक किराए की अदायगी नगर परिषद को करनी होगी। यदि किराया उक्त दिनांक तक जमा नहीं किया जाता तब किराएदारों से 12% की दर से ब्याज की वसूली की जाएगी। अंकेक्षण के दौरान अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ऐसे प्रकरणों में ब्याज की वसूली करके इसे केवल मात्र रोकड़ वही में दर्ज किया जा रहा है तथा इसके अतिरिक्त इसका कोई अभिलेख नहीं रखा गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि ऐसे समस्त प्रकरणों में समय–2 पर कुल देय ब्याज राषि वास्तविक वसूली व बकाया षेष राषि कितनी है। अतः उक्त पाई गई त्रुटि बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समय–2 पर कुल देय ब्याज राषि वसूली व बकाया राषि को किराया मांग एवं वसूली रजिस्टर में मूल किराए की लेनदारियों सहित दर्ज किया जाए ताकि किराएदार की समस्त देनदारियों की राषि निर्धारित हो सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को भी अअवगत करवाया जाए।

9 x'gdj dh olyh u djuk&

नगर परिषद की गृहकर की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼d½ x'gdj dh ekx rFkk ikfIr l lEcfU/kr vfHkyl[k iLrr u djuk rFkk ₹7263256@& e l x'gdj dh ukeek= gh olyh djuk&

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 268 दिनांक 30.7.12 द्वारा वर्ष 2010–11 व 2011–12 के दौरान गृहकर की मांग प्राप्ति व षेष राषि की सूचना मांगी गई थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा ऐसी कोई भी सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। नगर परिषद में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 13 के अनुसार दिनांक 31.3.2010 को ₹7263256/– गृह कर के रूप में वसूली हेतु षेष थी। इसके पश्चात नगर परिषद द्वारा गृह कर की वसूली हेतु न तो कोई कर निर्धारण सूचियां तैयार की गई और न ही कोई मांग उठाई गई, केवल अंकेक्षणाधीन अवधि से पूर्व की राषि में से नाम मात्र की राषि ही गृहकर के बकाया के रूप में प्राप्त की गई है। यह एक गम्भीर अनियमितता है तथा हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0 डी (1) 9/94, दिनांक 28.8.1997 की खुली अवहेलना है। इस प्रकार अंकेक्षणाधीन अवधि में अभिलेख तैयार न होने की परिस्थिति में यह निष्चित नहीं हो सका कि इस दौरान गृह कर की कितनी मांग थी, कितनी वसूली की गई तथा दिनांक 31.3.2012 को कितनी राषि वसूली हेतु षेष थी। अतः यह गम्भीर मामला नगर परिषद के उच्चाधिकारियों के विषेष ध्यान में लाया जाता है। अतः उक्त पाई गई गम्भीर त्रुटि/अनियमितता बारे सम्पूर्ण तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अनुपालना से षीघ्र इस विभाग को सूचित किया जाए।

¼[k½ ljdkj ds vuqeknu fcuk x'gdj dh ₹60910@&dh NwV inku djuk&

गृहकर के अभिलेख की जॉच करने पर यह भी पाया गया कि चयनित मासों में निम्न गृह मालिकों को 30% की छूट प्रदान करके गृह कर की वसूली की गई जिसके फलस्वरूप ₹60910/–कम प्राप्त की गई। इस सन्दर्भ में नगर परिषद की दिनांक 6.7.2010 को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 466 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो गृह मालिक वर्ष 2004 से

2009 तक के गृह कर की बकाया राषि एक मुष्त जमा करवायेगे उनको देय राषि में 30% की छूट प्रदान की जाएगी, परन्तु यह छूट प्रदान करने से पूर्व हिमाचल प्रदेष नगर पालिका अधिनियम, 1994 के नियम 79 (2) (ख) के अन्तर्गत हि0प्र0 सरकार से वांन्छित पुष्टि/अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। अतः हि0प्र0 सरकार से अनुमोदन/पुष्टि प्राप्त किए बिना अनियमित प्रकार से छूट प्रदान करने बारे स्पष्टीकरण दिया जाए तथा साथ ही उक्त प्रस्ताव का वांन्छित अनुमोदन/पुष्टि सरकार से प्राप्त करके ₹60910/—की अनियमित छूट को नियमित करवाकर आगामी कार्रवाई तदानुसार अमल में लाई जाए अन्यथा ₹60910/—की वसूली गृह मालिकों से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए। नगर परिषद द्वारा गृहकर की छूट प्रदान करने का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

Ø0 l0	x'g ekfydk dk uke o okM l[;k lo Jh	x'g dj dh vof/k	jlhn l0@fnukd	olwyh ;kX; jkf'k	30% dh NV	NV mijkUr ikIr jkf'k
1	सोहन लाल सुपुत्र श्री दिला राम वार्ड नं0 3, रोहड़ू	1/06 से 12/08	194/4696, 9.12.10	2365	709	1656
2	राधे ष्याम सुपुत्र श्री बद्री दत्त वार्ड नं0 3 रोहड़ू	1/04 से 12/08	194/4697, 9.1210	9002	2700	6302
3	सुख देव सुपुत्र श्री दिभल सिंह वार्ड नं0 4 रोहड़ू	1/04 से 12/08	194/4698, 10.12.10	15310	4593	10717
4	अषोक कुमार सुपुत्र स्व. श्री ध्यान सिंह वार्ड नं0 रोहड़ू	2006 से 2008	194/4699, 10.12.10	21516	6455	15061
5	एस0के0 सूद वार्ड नं0 4 रोहड़ू	2004 से 2008	95/4704,1 3.12.10	16755	5027	11728
6	प्रकाश काल्टा वार्ड	1/04 से	195/4705,	10861	3258	7603

	नं0 4 रोहड़ू	12/08	13.12.10			
7	यषपाल सुपुत्र श्री गुदड़ राम वार्ड नं0 3 रोहड़ू	1/05 से 12/08	195/4706, 13.12.10	2484	745	1739
8	अनिल कुठियााला सुपु. श्री किषोरी लाल वार्ड नं0 6 रोहड़ू	5/08 से 12/08	195/4707, 13.12.10	1120	336	784
9	च्ंचला देवी पत्नी श्री राज कुमार वार्ड नं0 2, रोहड़ू	1/07 से 12/08	195/4708, 13.12.10	1350	405	945
10	जिया लाल सुपुत्र श्री जानकी दास वार्ड नं0 7, रोहड़ू	2008	195/4713, 14.12.10	15255	4576	10679
11	जिया लाल सुपुत्र श्री जानकी दास वार्ड नं0 6 रोहड़ू	1/04 से 12/08	195/4714, 14.12.10	1576	473	1103
12	संजोगिता दत्ता पत्नी श्री सुरेष दत्ता वार्ड नं0 4, समाला रोहड़ू	1/05 से 12/08	195/4717, 14.12.10	15897	4769	11128
13	प्रकाश चन्द सुपुत्र स्व. श्री हीरा सिंह, वार्ड नं0 6, रोहड़ू	1/06 से 12/08	195/4719, 14.12.10	67014	20104	46910
14	विजय सिंह वाड्र नं0 6 गंगटोली रोहड़ू	1/04 से 12/08	195/4720, 14.12.10	22533	6760	15773
				₹203038	₹60910	₹142128

10 uxj ifj"kn jkgMw dh lhek esa yxs ekckbZy Vkojksa ls fu/kkZfjr 'kqYd dh olwyh@izkfIr u djus ds dkj.k ch0,l0,u0,y0 dEiuh ls ₹30000@& de izkIr djukA&

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद रोहड़ू की सीमा के अन्दर तीन मोबाईल कम्पनियों बी0एस0एन0एल0 टाटा व एयरटेल ने अपने–2 मोबाईल टावर लगा रखे थे जिनको लगाने की तिथियॉ अभिलेख में मौजूद नहीं थी। नगर परिषद द्वारा इन मोबाईल कम्पनियों से मोबाईल टावर स्थापित करने के एवज में सचिव (आईटी) हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या डी0आई0टी0–डी0ई0वी0–(आईटी) 2005 (विविध) दिनांक 22.8.2006 द्वारा निर्धारित षुल्क की वसूली/प्राप्ति नहीं की जा रही है। यह षुल्क ₹10000/–प्रति टावर स्थापित करने के तथा ₹5000/–प्रति आवर प्रति वर्ष नवीनीकरण हेतु निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त नवीनीकरण षुल्क में 5 वर्ष पष्चात 25% की बढ़ौतरी भी अपेक्षित है। इसके विपरीत नगर परिषद के अभिलेखानुसार मोबाईल कम्पनियों द्वारा निम्न विवरणानुसार उक्त षुल्क का भुगतान किया गया है जो कि पर्याप्त नहीं है। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु फिर भी नगर परिषद द्वारा इस ओर कोई विषेष ध्यान नहीं दिया गया जो कि अपने आप में एक गम्भीर मामला है। अतः मोबाइल कम्पनियों से टावर लगाने के एवज में सरकार द्वारा निर्धारित षुल्क की वसूली न करने का तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा इसके अतिरिक्त समस्त मोबाईल कम्पनियों की व्यक्तिगत खाता वहियॉ तैयार करके टावर लगाने की तिथि से निर्धारित षुल्क की मांग प्राप्ति व बकाया राषि की गणना करके इसकी षीध्र वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	ekckby dEiuh dk uke	LFkkfir Vkojks dh l0	jlhn l0@fnukd	vof/k	jkf'k dh idfr	ikIr jkf'k
1	बी0एस0एन0एल0	1	157 / 2820, 4.5.09	3.11.02 से 2.11.12	नवीनीकरण षुल्क	30000
2	टाटा	1	106 / 268, 28.7.07	2007–2008	नवीनीकरण षुल्क	5000
3	एयरटेल	1	1 / 035, 21.3.11	(i) 2006–07 (ii) 2007–08 से 2010–11	स्थापना षुल्क नवीनीकरण षुल्क	10000 20000
					;kx	₹55000

उपरोक्त विवरणानुसार बी0एस0एन0एल0 कम्पनी द्वारा नगर परिषद की सीमा में मोबाईल टावर स्थापित करने के एवज में अवधि 3.11.2002 से 2.11.2012 तक 10 वर्षों का ₹30000/–नवीनीकरण षुल्क का ही भुगतान परिषद को किया गया जबकि यह षुल्क ₹5000/–प्रति वर्ष की दर से 10 वर्षों का ₹50000/–बनता है। इस प्रकार मोबाइल कम्पनी को निर्धारित षुल्क पर 40% की अनियमित प्रकार से छूट प्रदान करके ₹20000/–कम प्राप्त की गई है। इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्या डी0आई0टी0–डी0ई0वी0(आई0टी0) 2005 (विविध) दिनांक 22.8.2006 के अनुसार यदि मोबाइल कम्पनी टावर स्थापित करने का षुल्क नवीनीकरण षुल्क सहित आगामी 5 वर्षों के लिए अग्रिम भुगतान करती है तब भुगतान राषि में 40% की छूट देय होगी, परन्तु उक्त कम्पनी द्वारा ₹30,000/–का भुगतान दिनांक 4.5.2009 को किया गया तथा यह राषि अवधि 3.11.2002 से 2.11.2012 से सम्बन्धित था। अतः मोबाईल कम्पनी द्वारा दिनांक 4.5.09 को किए गए भुगतान में दिनांक 2.11.2012 तक केवल 3½ वर्षों का अग्रिम भुगतान षामिल था तथा षेष राषि पूर्व अवधि 3.11.2002 स 4.5.2009 से सम्बन्धित थी। इस प्रकार मोबाइल कम्पनी को उक्त पत्र के अनुसार केवल 3½ वर्षों की अग्रिम भुगतान की राषि पर ही 40% की निर्धारित

छूट प्राप्त करने की हकदार थी। इसके विपरीत मोबाईल कम्पनी को सम्पूर्ण अवधि 3.11.2002 से 2.11.2012 के नवीनीकरण षुल्क की ₹50000/–पर अनियमित प्रकार से 40% की छूट प्रदान करके केवल ₹30000/–ही प्राप्त की गई परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा ₹20,000 (₹50000–₹30000) का नवीनीकरण षुल्क कम जमा करवाया गया है जिसकी तुरन्त वसूली करने के अतिरिक्त उक्त मोबाईल कम्पनी से टावर स्थापित करने के एवज में निर्धारित षुल्क ₹10000/–अर्थात कुल ₹30000/– की वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 2.11.02 से 5 वर्ष पष्चात नवीनीकरण षुल्क में निर्धारित 25% की बढ़ौतरी करके बकाया राषि की वसूली सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

11 fctyh midj o 'kjkc midj d :i e iklr jkf'k d feyku gr vif{kr vfHkys[k r;kj djuk&

नगर परिषद रोहड़ू को बिजली विभाग व आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में बिजली उपकर व षराब उपकर का भुगतान किया गया परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा इन प्राप्तियों के मिलान के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया है अर्थात निर्धारित दर पर कुल कितनी राषि पर देय थी, कितनी प्राप्त की जा चुकी है तथा षेष बकाया राषि कितनी प्राप्त की जानी थी इसका न तो कोई विवरण/सूचना उक्त विभागों से प्राप्त किया गया था और न ही ऐसा कोई अभिलेख परिषद द्वारा तैयार किया गया था। अपेक्षित अभिलेख के अभाव में बिजली उपकर व षराब उपकर की प्राप्त राषियों के मिलान की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार मिलान के बिना इन राषियों को सही मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त विभागों से आवष्यक सूचना प्राप्त करके अपेक्षित अभिलेख/खातावहियॉ तैयार की जाए तथा बिजली उपकर व षराब उपकर की कुल मांग, प्राप्ति व बकाया षेष राषि का निर्धारण किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 jlhn cqdksa dk xr LVkWd jftLVj miyC/k u djokuk&

नगर परिषद द्वारा उपयोग की जा रही जी–8 रसीद बुकों का दिनांक 18.12.2009 से पूर्व का गत स्टॉक रजिस्टर लेखा–परीक्षा में उपलब्ध नहीं करवाया गया। वर्तमान स्टॉक रजिस्टर दिनांक 18.12.2009 को षुरू किया गया जिसमें लिया गया प्रारम्भिक षेष अनियमित प्रतीत होता है। इस प्रकार गत स्टाक रजिस्टर में जी–8 रसीद बुकों का जितना भी स्टॉक उपलब्ध था उसका वर्तमान स्टॉक रजिस्टर में कोई भी उल्लेख नहीं था। इस प्रकार की त्रुटि से रसीद बुकों के स्टॉक की नवीनतम स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त वर्तमान स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि रसीदों को जारी करते समय दिनांक इत्यादि अंकित नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त रसीदें किस अवधि में उपयोग हुई तथा रोकड़ वही में कहॉ पर दर्ज इसका भी अभिलेख में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उक्त पाई गई त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इनमें आवष्यक सुधार किया जाए तथा गत स्टॉक रजिस्टर के अन्तषेष को वर्तमान स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

13 oxhZd`r [kkrk ofg;ksa dk rS;kj u djuk&

नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 66 व 67 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के करों की वसूली की जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न मदों पर व्यय भी किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा कुछ मदों को छोड़कर षेष मदों के आय व व्यय का ब्यौरा रखने के लिए मदवार पृथक–2 लेखा षीर्षों के अन्तर्गत खातावहियों तैयार नहीं की गई थी। मदवार खातावहियों के अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक निष्चित अवधि में विभिन्न मदों में आय की कितनी मांग थी, कितनी प्राप्ति हुई तथा एक निष्चित तिथि को कितनी राषि वसूली षेष है। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में भी यह सुनिष्चित नहीं किया जाता कि विभिन्न षीर्षों में मदवार व्यय के रूप कितनी राषि भुगतान की गई तथा कितनी राषि भुगतान करनी षेष है। अतः सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक मद के लिए आय व व्यय की पृथक–2 खातावहियां तैयार की जाए तथा इनकी मांग, प्राप्ति/व्यय व षेष राषि की गणना सुनिष्चित की जाए ताकि किसी भी प्रकार की कम अथवा अधिक प्राप्ति/व्यय की सम्भावना से बचा जा सके तथा प्रत्येक मद का सही लेखा तैयार हो सके। इस प्रकरण में कृत कार्रवाई उपरान्त इसकी अनुपालना अंकेक्षण को भी दिखाई जाए।

14 flyoj cYl fo|ky; l ifrHkfr dh ₹6000@&ikIr u djuk%&

नगर परिषद की दिनांक 15.10.2011 को हुई बैठक में प्रस्ताव संख्या 533 पारित करके सिलवर बैल्स स्कूल को रामलीला मैदान में दो कमरे किराये पर आबंटित किए गए जिसका मासिक किराया ₹1000/–निर्धारित किया गया जोकि माह नवम्बर 2011 से लागू है। प्रतिभूति रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त विद्यालय से अपेक्षित प्रतिभूति राषि जो कि 6 माह के किराए के बराबर है प्राप्त नहीं की गई। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा उक्त संस्था से ₹6000/–की प्रतिभूति राषि (₹1000x6 माह) प्राप्त की जानी षेष है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा उक्त वर्णित प्रतिभूति की राषि सम्बन्धित विद्यालय से तुरन्त प्राप्त करके प्रतिभूति रजिस्टर में दर्ज की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 okmpj l[;k 26] fnukd 12-8-110] ₹276566@&

okÅpj l[;k 32] fnukd 26-8-10] ₹46126@&

उक्त वाऊचरों की जांच करने पर संविदाकार को निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया दर्षाया गया है।

¼d½ ₹7697@&dk vf/kd Hkxrku%&

उपरोक्त वर्णित वाउचरों के अन्तर्गत संविदाकारों को उनके द्वारा किये गए निर्माण कार्यों के बिलों हेतु ₹322692/– का भुगतान किया गया। यह भुगतान विभिन्न निर्माण स्थलों पर अलग–2 अनुबन्धों के अन्तर्गत करवाए गए रिटेनिंग बाल की कन्स्ट्रक्षन से सम्बन्धित थे। किये गए भुगतानों की जॉच करने पर पाया गया कि इन निर्माण कार्य में अनुबन्धों की कार्य मद आर0आर0 मैषनरी इन सीमैन्ट मोर्टर 1:6 के करवाए गए कार्य की गणना पूरी ऊॅचाई के लिए ही करते हुए भुगतान किये गया जबकि रिटेनिंग बाल के बीच में 0.15 व 0.10 मीटर की ऊॅचाई के लगाए गए बन्द को ध्यान में रखते हुए सी0सी0 1:4:8 की ली गई मात्रा को घटाते हुए आर0आर0 मैषनरी की षुद्ध मात्रा निकालकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था जिसका विवरण निम्न प्रकार से वर्णित है। अतः उक्त वाउचरों के अन्तर्गत संविदाकारों को उनके द्वारा किये गए कार्यो हेतु निम्न विवरणानुसार ₹7697/–का अधिक भुगतान किया गया है जिस बारे

स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹7697/–की वसूली संविदाकारों से करके नगर परिषद के खाते में जमा करवाई जाए।

क्र0 सं0	रसीद सं0/दिनांक	कार्य का नाम/अनुबन्ध सं0	संविदाकार का नाम	मापन पुस्तिका सं0/पृ0 सं0	ली गई गणना घन मी0 में	सही गणना घन मी0 में	अवधि ली गई गणना घन मी0 में व अधिक भुगतान
1	26/12.8.2010	कन्स्ट्रकषन ऑफ रिटेनिंग वाल/पाथ/ड्रेन नीयर फारेस्ट आफिस फेस–IV/एन0पी0/वर्कस/2009/919–924 दिनांक 26.8.2009	श्री हरपाल सिंह गॉव जुडडी रोहडू	14/पृ0 77	10.00x1.58+0.75/2x3.05=35.53	10.00x1.58+0.75/2x3.05=35.53 (-) 1.22 (C.C 1:2:4)=34.31	1.22x1740.25 प्रति घन मी0 =₹2123.10
2	26/12.8.2010	–यथोपरि– फेस–V/एन0पी0/वर्कस/2009/925–930 दिनांक 26.8.2009	–यथोपरि–	14/पृ0 80	10.00x1.58+0.75/2x3.05=35.53	10.00x1.58+0.75/2x3.05=35.53 (-) 1.22 (C.C 1:2:4)=34.31	1.22x1740.25 प्रति घन मी0 =₹2123.10
3	26/12.8.2010	–यथोपरि– फेस–VI	श्री हरपाल सिंह गॉव समोली	14/84	10.00x1.58+0.75/2x3.05=35.53	10.00x1.58+0.75/2x3.05=35.53 (-) 1.22 (C.C 1:2:4)=34.31	1.22x1740.25 प्रति घन मी0 =₹2123.10
4	32/26.8.2010	कन्स्ट्रकषन ऑफ रिटेनिंग बाल इनपीऊन सेरी गॉव व जुली फील्ड फेस–I/एन0पी0/वर्कस/2009/671–676 दिनांक 24.7.2009	श्री देवेन्द्र चौहान गॉव सामला रोहडू	14/59	6x1.00x0.60x5.00/2=24.00	6x1.00x0.60x5.00/2=24.00 (-) 0.72 (C.C 1:2:4)=23.28	0.72x1844.93=1328
						योग	₹7697

¼[k½ ₹1477@& dk vf/kd@vufpr Hkqxrku½&

उपरोक्त वर्णित वाउचर संख्या 32 दिनांक 26.08.2010 के अन्तर्गत संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 6 स्टोन फिलिंग विहाइंड रिटेनिंग वाल के करवाए गए कार्य 2.16 घन मीटर की मात्रा जिसकी रिकार्ड प्रविष्टियॉ माप पुस्तिका सं0 14 के पृष्ठ 59 पर की गई थी, के लिए ₹684.25 प्रति घन मी की दर से ₹1477.98/–का भुगतान किया गया। किये गए भुगतान की जॉच करने पर पाया गया कि संविदाकर को 5 मीटर की ऊॅचाई की लगाई गई रिटेनिंग वाल के पीछे 2.16 घन मी0 स्टोन फिलिंग की मात्रा हेतु भुगतान किया गया जबकि कार्य स्थल पर कटिंग का कार्य 4.50 मी0 व खुदाई 0.75 मी0 अर्थात कुल 5.25 मी0 की ऊॅचाई के लिए कार्य करवाया गया था जिस पर सी0सी0 1:6:12 व आर0आर0 मैषनरी का कार्य 0.15 मी0+5.00 मी0=5.15मी0 की ऊॅचाई तक किया गया दर्षाया गया जिसके आधार पर रिटेनिंग वाल के पीछे कोई भी स्थान स्टोन फिलिंग के लिए षेष नहीं था। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह स्पष्ट नहीं होता कि स्टोन फिलिंग का कार्य किस प्रकार से किया गया। उक्त पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व संविदाकार को 2.16 घन मी0 स्टोन फिलिंग हेतु ₹684.25/–प्रति घन मीटर की दर से ₹1477.98/–किये गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके यह राषि परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

16 okÅpj l[;k 32] fnukd 20-03-2012 ₹13761@&

dk;l dk fu;ekuqlkj eLVjjksy esa y[kkfdr u djuk½&

उपरोक्त वर्णित वाऊचर द्वारा कन्स्ट्रक्षन आफ रिटेनिंग वाल इन सहमति मोहला वार्ड नं0 4 के कार्य हेतु मस्टरोल नं0 111 फरवरी 2012 में लगाए गए 2 मिस्त्री व 8 न0 बेलदार के लिए ₹13761/–का भुगतान किया गया। उक्त मस्टररोल की जॉच करने पर पाया गया कि मस्टररोल के पार्ट–III में समस्त किये गए कार्य की गणना में से पूर्व मस्टर रोल के अन्तर्गत आंकी गई कार्य मात्राओं को मदवार दर्षाकर षुद्ध कार्य मात्रा वर्तमान मस्टर रोल में नहीं दर्षाई गई थी तथा न ही माप पुस्तिका संख्या 15 के पृष्ठ 90 पर किये गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियॉ व एवस्ट्रैक आफ कास्ट को तदानुसार ही लेखांकित किया गया। अतः उक्त अनियमितता के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इस मस्टररोल तक करवाए गए समस्त

कार्य की स्थिति क्या थी अर्थात कितनी मात्रा पूर्व में मदवार भुगतान हेतु ले ली गई तथा कितनी अब भुगतान की जा रही है। अतः उक्त पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व समस्त किये गए कार्य की मदवार गणना नियमानुसार करके मस्टररोल के पार्ट–III को तदानुसार तैयार किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए ताकि किये गए कार्य की स्थिति स्वतः स्पष्ट की जाए।

17 ₹6353@&dk vufpr@vf/kd Hkxrku&

नगर परिषद द्वारा लेबर/मस्टररोल के माध्यम से किये जा रहे निर्माण कार्यो की जॉच करने पर पाया गया कि मस्टररोल के अन्तर्गत किया गया भुगतान कार्य की मात्रा मानक दर अनुसूची 1999 में वर्णित दरों (प्रीमियम सहित) के मूल्यांकन से अधिक पाया गया। इस प्रकार मूल्यांकन से अधिक पाए गए भुगतान की स्थिति में अन्तर की यह राषि वसूली योग्य थी। जॉच करने पर यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेष मानक दर 1999 में वर्णित कार्य मदों का ऑकलन लेबर रेट पर करते समय संविदाकार को 10% लाभ ओवर हैन्ड चार्जिज 5% व वाटर चार्जिज 1½% को न घटाकर इसका गलत प्रकार से मूल्यांकन किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹6353/–मानक दरों पर देय प्रीमियम से भी अधिक राषि मस्टर रोल में भुगतान की गई जिसका विवरण निम्न वर्णित है।

वा0सं0 व दिनांक	कार्य का नाम/मस्टररोल नं0	माप पुस्तिका व पृ0सं0	मस्टरोल के द्वारा किया गया भुगतान	हि0प्र0 मानक दर अनुसूची 1999 के आधार पर कार्य मूल्यांकन	अधिक भुगतान /वसूली
27/12.8.2010	कन्स्ट्रक्षल आफ ड्रेन एण्ड पाथ इन वार्ड नं0 5/एम0रोल नं0 54	14/ पृ0 75	14660	16606(–)2740=13866	794
27/12.8.2010	कन्स्ट्रक्षल आफ ड्रेन फ्राम ठाकुर हाऊस टू हास्पिटल गेट वार्ड नं0 3/एम0रोल नं0 53	14/ पृ0 89	8280	8503(–)1403=7100	1180

27/12.8.2010	कन्स्ट्रक्षन आफ ड्रेन एण्ड स्टैम्पस वालिया हाऊस टू सुभाष सोप वार्ड नं0 3/एम0रोल 58	14/ पृ0 92	7145	7588(–)1252=6336	809
35/28.8.2010	प्रोवाईडिंग वायर मैस इन सेरी रोड फ्राम सूरत सिंह हाउस टू डीडी सिंह नाला वार्ड–4/एम0रोल 55	14/ पृ0 73	26760	27882(–)4600=23282	3478
32/20.3.2012	कन्स्ट्रक्षन ऑफ रिटेनिंग वाल इन षामली मोहला वार्ड नं0 4/एम0रोल नं0 111	15/ पृ0 90	13761	16370(–)2701=13669	92
					₹6353

अतः उक्त पाई गई गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹6353/–की वसूली उचित स्त्रोत से करके राषि परिषद लेखा में जमा करवाई जाए।

18 okÅpj l[;k 35 fnukd 28-08-2010 ₹27760@&
iRFkjk dk LVkd e y[kkc) u djuk&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा मस्टररोल नं0 55 के अन्तर्गत लगाए गए मजदूरों व मिस्त्रियों को ₹27760/–का भुगतान किया गया। मस्टर रोल के अन्तर्गत लगाए गए मजदूरों/मिस्त्रियों द्वारा किये गए कार्य का मापन माप पुस्तिका सं0 14 के पृ0 73 पर किया गया था जिसकी जॉच करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य की कार्य मद संख्या 1 डिमोलिसन आफ स्टोन मैषनरी का कार्य 10.53 घन मी0 किया गया परन्तु इस कार्य में पत्थरों की प्राप्ति को नहीं दर्षाया गया जबकि न्यूनतम 60% पत्थरों की मात्रा अर्थात 6.31 घन मी0 उक्त कार्य से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। अतः पत्थरों की प्राप्ति को न दर्षाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की

जाए व 6.31 घनमीटर पत्थरों की वसूली बाजार दर से करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

19 fuek.k lkexh dk LVkd jftLVj fu;ekuqlkj mfpr iidkj ls r;kj u fd;k tkuk&

निर्माण सामग्री के स्टॉक रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि सामान का प्रयोग माप पुस्तिका तथा मस्टरोल में प्रयोग दर्षाए बिना सीधे ही कर दिया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि सामान का प्रयोग किस प्रकार से मस्टर रोल में लगाए गए मजदूरों द्वारा किया गया तथा उनके द्वारा सामग्री का प्रयोग निर्माण की किस कार्य मद हेतु किया गया। निर्माण सामग्री प्रयोग माप पुस्तिका में न दर्षाना तथा इसका प्रयोग मस्टरोंल के माध्यम से न किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि निर्माण सामग्री के सामान की खरीद को स्टॉक में लेखांकित करते समय लेखॉकन मद वार नियमानुसार नहीं किया जा रहा है अपितु प्राप्त सामान को प्राप्ति के दिनांक के आधार पर क्रमवार ही लेखाबद्ध करके केवल मात्र औपचारिकता को ही पूर्ण किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रत्येक मद की स्वतः स्पष्ट स्थिति अर्थात खरीद व उपयोग के सम्बन्ध में स्थिति क्या थी। अतः उपरोक्त पाई गई त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व निर्माण सामग्री से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर को नियमानुसार तैयार किया जाए।

20 okgukas ds Mhty ij yxHkx ₹78093@&dk vuqekfur@vfu;fer 0;;%&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद रोहड़ू के पास दो वाहनों में से एक ट्रैक्टर (संख्या एच0पी0.–10–9322) तथा एक डम्पर (संख्या एच0पी0–10–1952) है जिनको परिषद की सीमा के भीतर कूड़ा कर्कट इत्यादि उठाने व फैंकने में उपयोग किया जा रहा है। इन वाहनों की लॉग बुकों की जॉच करने पर पाया गया कि इनको नियमानुसार उचित प्रकार से तैयार नहीं किया गया है। वाहनों द्वारा प्रतिदिन तय की गई दूरी के अनुसार मीटर रीडिंग व कि0मी0 दर्ज नहीं किए जा रहे है तथा मासॉत के दौरान प्रति लीटर डीजल की कि0मी0 के हिसाब से कोई भी औसत खपत का लेखा तैयार नहीं किया गया है परिणामस्वरूप लॉग बुक में की गई अधूरी प्रविष्टियॉ की गई है। परिषद कार्यालय द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त वाहनों के मीटर गत कई वर्षों से खराब पड़े है। इस प्रकार लॉग बुकों को उचित प्रकार से तैयार न करना, डीजल की औसत खपत न निकालना तथा वाहनों के मीटरों का गत गई वर्षो से खराब रहने पर इनको न बदलना स्पष्ट संकेत करता है कि परिषद कार्यालय द्वारा उक्त

वाहनों के डीजल की खपत पर कोई नियन्त्रण/निगरानी नहीं रखी जा रही है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि उक्त वाहनों की लॉग बुकों को उचित प्रकार से तैयार किया जाए तथा इनके खराब पड़े मीटरों को तुरन्त बदला जाए। इसके अतिरिक्त मास के अन्त में डीजल की वास्तविक औसत खपत निकाली जाए तथा इसका मिलान सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत निर्धारित औसत खपत से किया जाए। डीजल की वास्तविक खपत का विवरण वाहनों के पूर्व अवधि से उपयोग की दिनांक से वर्तमान तक नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर तैयार किया तथा यदि वास्तविक खपत निर्धारित औसत से अधिक पाई जाती है तो अधिक खपत पर किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिष्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए। अंकेक्षणाधीन अवधि में उक्त वाहनों के डीजल की खपत पर अनुमानित अधिक व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिसकी जांच उपरान्त इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को तुरन्त अवगत करवाया जाएः—

क्र0 सं0	वाहन व सं0	अंकेक्षणाधीन अवधि में डीजल पर वास्तविक खपत	अकेक्षणाधीन अवधि में डीजल पर वास्तविक व्यय	डीजल की कुल खपत पर अपेक्षित अनुमानित तय दूर (कि0मी0 में)	वाहनों द्वारा कुल अनुमानित तय दूरी (कि0मी0 में)	कुल अनुमानित डीजल की अधिक खपत	डीजल की खपत पर अंकेक्षणाधीन अवधि में कुल अनुमानित अधिक व्यय
1	ट्रैक्टर (एचपी0—10—9322)	4562 ली0	₹185256	13686 कि0मी0 (4562X3 कि0मी0 औसत प्रति लीटर)	8760कि0मी0 (365X2 वर्ष X12 कि0मी0 औसत प्रतिदिन)	1642 ली0 (13686—8760/3 कि0मी0 प्रति लीटर)	₹66682 (1642 लीटरX₹40.61 प्रति लीटर औसत की दर से)
2	डम्पर (एच0पी0—10—1952)	1741	₹76454	5223 कि0मी0 (1741X3 कि0मी0 औसत प्रति लीटर)	4380किमी0 (365X2 वर्ष X6 कि0मी0 औसत प्रतिदिन)	281 ली0 (5223—4380/3 कि0मी0 प्रति लीटर)	₹11411 (281 लीटरX₹40.61 प्रति लीटर औसत की दर से)
						कुल योग	₹78093

21 uxj ifj"kn d deipkfj;k dk fnukd 1-1-2006 l fn, x, l'kkf/kr orueku d orru fu/kkj.k e ikbZ xbZ vfu;ferrk,i rFkk deipkfj;k dh ifitdkvk e vU; vfu;ferrkvk ckj%&

नगर परिषद के कर्मचारियों के दिनांक 1.1.06 से संषोधित वेतनमान के निर्धारण में तथा सेवा पंजिकाओं में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼d½ l'kkf/kr orru dh xyr x.kuk d ₹34818@& dk vf/kd Hkqxrku%&

सेवा पंजिकाओं एवं वेतन रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि परिषद के निम्न वर्णित कर्मचरियों को संषोधित वेतन की गलत गणना के कारण ₹34818/–का अधिक भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान का तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा इन मामलों की अपने स्तर पर पुनः जॉच सुनिष्चित की जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्व श्री	अवधि	संषोधित मूल वेतन जो बनता था	गलत गणना के कारण संषोधित मूल वेतन जिसका भुगतान किया गया	अन्तर	मंहगाई दर	कुल अन्तर मंहगाई भत्ते सहित	अधिक भुगतान राषि
ओम प्रकाष सफाई कर्मचारी	1.1.11 से 30.6.11 1.7.11से 31.12.11 1.1.12 से 31.7.12	9350(7950+1400) –यथोपरि– 9630 (8230+1400)	9380 (798+1400) –यथोपरि– 9670(8270+1400)	30 30 40	51% 58% 58%	45 47 63	270 (45X6 मास) 282 (47X6 मास) 441 (63X7 मास) कुल ₹993
योगेन्द्र सिंह सफाई कर्मचारी	1.2.10 से 30.6.10 1.7.10से 31.12.10 1.1.11 से 31.1.11 1.2.11 से 30.6.11 1.7.11 से 31.12.11 1.1.12 से 31.1.12 1.2.12 से 31.7.12	8140 (6740+1400) –यथोपरि– –यथोपरि– 8390 (6990+1400) –यथोपरि– –यथोपरि– 8650 (7250+1400)	8400 (7000+1400) –यथोपरि– –यथोपरि– 8660 (7260+1400) –यथोपरि– –यथोपरि–	260 260 260 270 270 270 270	35% 45% 51% 51% 58% 58% 58%	351 373 393 408 427 427 427	1755 (51X5 मास) 2262 (377X6 मास)393 2040 (393X5 मास) 2562 (427X6 मास)427 2562 (427X6 मास) dqy ₹12001

			8920(7520+1400)				
माहिन्द्र सफाई कर्मचारी	1.4.10 से 30.6.10 1.7.10 से 31.12.10 1.1.11 से 31.3.11 1.4.11 से 30.6.11 1.7.11 से 31.12.11 1.1.12 से 31.3.12 1.4.12 से 31.7.12	8840 (7440+1400) –यथोपरि– –यथोपरि– 9110 (7710+1400) –यथोपरि– –यथोपरि– 9390 (7990+1400)	9090 (7690+1400) –यथोपरि– –यथोपरि– 9370 (7970+1400) –यथोपरि– –यथोपरि– 9660 (8260+1400)	250 250 250 260 260 260 270	35% 45% 51% 51% 58% 58% 58%	338 363 378 393 411 411 427	1014 (383X3) 2178 (363X6) 1134 (378X3) 1179 (393X3) 2466 (411X6) 1233 (411X3) 1708 (427X4) कुल ₹10912
बबू राम सफाई कर्मचारी	1.4.10 से 30.6.10 1.7.10 से 31.12.10 1.1.11 से 31.3.11 1.4.11 से 30.6.11 1.7.11 से 31.3.12 1.4.12 से 31.7.12	8840 (7440+1400) –यथोपरि– –यथोपरि'– 9110 (7710+1400) –यथोपरि– 9390 (7990+1400)	9090 (7690+1400) –यथोपरि– –यथोपरि– 9370 (7970+1400) –यथोपरि– 9660 (82601400)	250 250 250 260 260 270	35% 45% 51% 51% 58% 58%	338 363 378 393 411 427	1014 (338X3) 2178 (363X6) 1134 (378X3) 1179 (393X3) 3699 (411X9) 1708 (427X4) कुल ₹10912
				d|y tkM+ ¼1 ls 4½			₹34818

¼[k½ l±'kksf/kr osrueku esa osru dk fu/kkZfjr rFkk lsok iaftdkvksa esa ikbZ xbZ vfu;ferrk,a¼&

¼i½ नगर परिषद रोहड़ू की दिनांक 20.11.2009 को हुई बैठक में प्रस्ताव संख्या 410 पारित करके परिषद के कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 1.1.2006 से हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्या फिन(पी0आर0) बी (7)–1/2009, दिनांक 26.8.2009 के अनुसार संषोधित वेतनमान लागू किए गए। कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया कि परिषद कार्यालय द्वारा कर्मचारियों को लागू किए गए संषोधित वेतन का न

तो कोई औपचारिक निर्धारण किया गया तथा न ही वेतन निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से आदेष प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त उक्त अधिसूचना के नियम 6 (1) व 8 के अन्तर्गत कर्मचारियों को संषोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण करने का न तो कोई विकल्प लिया गया और न ही वेतन निर्धारण की संषोधित प्रविष्टियॉ सेवा पंजिकाओं में री–कास्ट/पुनः दर्ज की गई। नगर परिषद द्वारा संषोधित वेतन का दिनांक 1.1.2006 से बकाया राषि सहित भुगतान भी उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना ही कर्मचारियो को कर दिया गया जो कि अनियमित है। उक्त प्रक्रया न अपनाए जाने के फलस्वरूप किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः यह मामला परिषद के उच्चाधिकारियों के विषेष ध्यान में लाया जाता है। उक्त पाई गई त्रुटियों बारे तथ्यों सहित सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाए तथा दिनांक 1.1.2006 से संषोधित वेतन का औपचारिक निर्धारण करके तथा सक्षम प्राधिकारी के आदेष भी प्राप्त किए जाएं तथा संषोधित वेतनमान की प्रविष्टियॉ कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में पुनः दर्ज/री–कास्ट करके किए गए भुगतान का नियमितिकरण करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यदि औपचारिक वेतन निर्धारण उपरान्त कोई अधिक भुगतान पाया गया तो उसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼ii½ अंकेक्षण के दौरान सर्व श्री कुषाल चन्द चपड़ासी तथा योगेष्वर लाल, चपड़ासी की सेवा पंजिकाओं के अवलोकन करने पर पाया गया कि इन कर्मचारियों को निदेषक षहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2 के कार्यालय आदेष संख्या यूडी0–एच(बी) (1)–6/99 दिनांक 7.3. 2011 द्वारा पूर्व दिनांक 1.1.2002 से नियमित किया गया परन्तु इनका दिनांक 1.1.2002 से कोई भी औपचारिक वेतन निर्धारण नहीं किया गया तथा न ही इसे सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत/सत्यापित करवाया गया। वेतन निर्धारण की अपेक्षित प्रविष्टियॉ भी कर्मचारियों की वेतन पंजिकाओं में नहीं की गई है। परिषद कार्यालय द्वारा केवल अपने स्त्तर पर औपचारिक वेतन निर्धारण करके बकाया राषि सहित भुगतान वेतन रजिस्टर में कर दिया गया है। अतः उक्त पाई गई त्रुटियों का तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा उक्त कर्मचारियों का औपचारिक वेतन निर्धारण दिनांक 1.1.2002 से करके अपेक्षित प्रविष्टियां इनकी सेवा पंजिकाओं में पुनः दर्ज की जाए तथा समस्त प्रक्रिया को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाया जाए। यदि औपचारिक वेतन निर्धारण के उपरान्त कोई भी अधिक भुगतान पाया जाता है तो इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियो से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

¼iii½ अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि श्री एस0एस0 नेगी सचिव तथा श्री कमलकान्त, सहायक प्रारूपकार की सेवा पंजिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। परिणामस्वरूप इनकी अपेक्षित जांच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः उक्त कर्मचारियों की सेवा पंजिकाएं आवष्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत करना सुनिष्चित किया जाए।

¼iv½ श्री कांषी राम, चालक को निदेषक षहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2 के कार्यालय आदेष संख्या यू0डी0–एच(बी)(15)–1/2006 दिनांक 17.7.2010 द्वारा नियमित किया गया तथा कर्मचारी द्वारा दिनांक 29.7.2010 को तदानुसार चालक के पद पर कार्यग्रहण किया। नगर परिषद रोहड़ू द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका प्रारम्भ से तैयार ही नहीं की गई है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसकी तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कर्मचारी की सेवा पंजिका को नियमानुसार उचित प्रकार से तैयार करके अपेक्षित प्रविष्टियां दर्ज की जाए तथा इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

¼v½ कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धियॉ बिना सेवा सत्यापन प्रमाणपत्र के तथा बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के प्रदान की जा रही है तथा वांन्छित कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जा रहा है।

¼vi½ कर्मचारियों को ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत प्रदान की गई वेतन वृद्धियों के बारे में कोई भी औपचाकिर आदेष जारी नहीं किए गए है।

¼vii½ कर्मचारियों से अर्जित अवकाष/चिकित्सा अवकाष के मात्र आवेदन ही प्राप्त किए जा रहे है तथा अवकाष को व्यतीत करने से कोई औपचारिक आदेष स्वीकृत/जारी नहीं किए जा रहे है।

¼viii½ कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में अर्जित अवकाष खाते व अन्य अवकाष खातों को नियमित रूप से तैयार नहीं किया गया। अंकेक्षणाधीन अवधि में किसी भी कर्मचारी के अवकाष खातों को पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया गया था।

अतः उक्त पाई गई त्रुटियों का निपटारा षीध्र किया जाए तथा संषोधित वेतनमानों का नियमानुसार निर्धारण करने के अतिरिक्त भविष्य में कर्मचारियों की सेवा पजिकाओं का रख रखाव निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए अपेक्षित स्वीकृत/आदेष जारी करके किया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

22 vuqcU/k deZpkfj;ksa dks ₹18320@& dk vfu;fer izdkj ls vf/kd Hkqxrku djuk&

अंकेक्षण के दौरान वेतन रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित अनुबन्ध कर्मचारियों का संषोधित वेतन निर्धारण नियमों के विपरीत करके ₹18320/– का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया। वित्त (विनियम) विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (सी) बी (7) 5/2009 दिनांक 3.12.2009 द्वारा अनुबन्ध कर्मचारियों को दिनांक 1.12.2009 से संषोधित वेतनमान लागू किए गए है। उक्त ज्ञापन के अनुसार अनुबन्ध कर्मचारियों को संषोधित वेतन मान लागू होने के फलस्वरूप इनका संषोधित वेतन दिनांक 1.12.2009 को पे–बैंड के न्यूनतम स्त्तर+ग्रेड पे के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा उक्त ज्ञापन में दिए गए निर्देषों की अवहेलना करते हुए अनुबन्ध कर्मचारियों के संषोधित वेतन का निर्धारित दिनांक 1.12.2009 से ही संषोधित वेतनमान के फिटमैन्ट/कनवर्षन टेबल में दिए गए पुराने वेतन के न्यूनतम स्त्तर पर वेतन के विरूद्ध बैंड पे/ग्रेड पे की जो राषि बनती थी उसके आधार पर निर्धारित कर दिया गया। यहां पर यह स्पष्ट करना भी आवष्यक है कि उक्त संषोधित वेतन मान को लागू करने से पूर्व नगर परिषद द्वारा न तो कोंई प्रस्ताव पारित किया गया और न ही इस प्रस्ताव की स्वीकृति निदेषक, षहरी विकास, हिमाचल प्रदेष से प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त उक्त ज्ञापन के पैरा 3 के अनुसार संषोधित वेतन को निर्घारित करने से पूर्व अनुबन्ध कर्मचारियों से अपेक्षित विकल्प प्राप्त नहीं किए गए थे अपितु केवल मात्र अनौपचारिक वेतन का निर्धारण करके परिषद कार्यालय द्वारा अनियमित प्रकार से गलत भुगतान किया जा रहा था। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाए तथा संषोधित वेतन मान लागू करने बारे परिषद से प्रस्ताव पारित करवाया जाए तथा इसकी निदेषक, षहरी विकास, हिमाचल प्रदेष से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए। इसके अतिरिक्त संषोधित वेतन का अपेक्षित विकल्प प्राप्त करके औपचारिक वेतन का निर्धारण भी किया जाए व इसकी प्रविष्टियॉ कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं मे ंपुनः दर्ज/री कास्ट की जाएं तथा इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित/स्वीकृत भी करवाया जाए तथा निम्न विवरणानुसार ₹18320/–के अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

deZpkjh dk uke lo Jh	Lk'kkf/kr osrueku@ iS cSaM tks ykxw gS	vof/k	fd;k x;k vuqcU/k jkf'k dk Hkqxrku izfr ekg ¼₹½	fu;ekuqlkj tks Hkqxrku curk Fkk izfrekg ¼₹½	vfu;fer izdkj ls fd;k x;k dqy vf/kd Hkqxrku ¼₹½
सुनील कुमार कनिष्ठ अभियन्ता	10300–34800 +ग्रेड पे 3800	12/09 से 7/12 (32 माह)	14590 (10790+3800)	14100(10300+3800)	15680 (490x32 मास)
कांषी राम चालक	5910–202000 +ग्रेड पे 2000	12/09 से 7/10 (8 माह)	8240 (6240+2000)	7910 (5910+2000)	2640 (330x8 मास)
				dqy tksM+	₹18320

23 ₹2029@& dk vkokl HkŸkk o izfrijd HkŸkk dk vf/kd Hkqxrku%&

अंकेक्षण के दौरान वेतन रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्न कर्मचारियों को ₹2029/–के आवास भत्ते व प्रतिपूरक भत्ते का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	अवधि	पुराना मूल वेतन	प्रति माह आवास भत्ते का किया गया भुगतान	नियमानुसार जो देय बनता था	अन्तर प्रति माह	कुल अधिक भुगतान
1	सुमन लता, लिपिक	10.12.09 से 31.12.09 (22 दिन)	3220	150	106 (150X22/31)	44	44
		1.1.10 से 30.11.10 (11 मास)	3220	150	125	25	275
		1.12.10 से 30.4.11 (5 मास)	3330	150	125	25	125
		10.12.09 से 31.12.09 (22 दिन)	3220	200	142 (200X22/31)	58	58
						योग	₹502

	(नोटः– दिनांक 4.5.2011 को नगर निगम षिमला को हस्तांतरण)						
2	संजीव भ्रांटा लिपिक	10.12.09 से 31.12.09 (22 दिन)	3220	150	106 (150X22/31)	44	44
		1.1.10 से 30.11.10 (11 मास)	3220	150	125	25	275
		1.12.10 से 30.11.11 (12 मास)	3330	150	125	25	300
		1.12.11 से 28.2.12 (3 मास)	3440	150	125	25	75
		10.12.09 से 31.12.09 (22 दिन)	3220	200 (प्रतिपूरक भत्ता)	142 (200X22/31)	58	58
						योग	₹752
3	कांशी राम चालक	1.8.10 से 30.6.11 (11 मास)	3330	150	125	25	275
		1.7.11 से 28.2.12 (8 मास)	3440	150	125	25	200
						योग	₹475
4	राजेन्द्र मेहता, कनिष्ठ सहायक	1.3.11 से 31.1.12 (11 मास)	8100	275	250	25	275
		1.2.12 से 29.2.12 (1 मास)	8375	275	250	25	25
						योग	₹300
						कुल योग	₹2029

24 deZpkfj;k dk vkokl HkŸk dk Hkqxrku fu/kkZfjr izek.k i=k dk izkIr fd, fcuk djuk%&

लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख की जॉच करने पर पाया गया कि नगर परिषद रोहड़ू द्वारा अपने कर्मचारियों को आवास किराया भत्ते का भुगतान हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा समय–2 पर इस सम्बन्ध में जारी दिषा–निर्देषों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा वित (विनियम) विभाग के पत्र संख्या फिन (सी) बी(7)–7/93 दिनांक 8.6.1993 व 12.6.1996 में दिए गए विस्तृत प्रावधानों की अनुपालना किए बिना ही आवास किराए भत्ते की अनियमित प्रकार से अदायगी की जा रही है। उपरोक्त पत्रों के अनुसार यदि एक ही परिवार के एक से अधिक सरकारी कर्मचारी हो तथा एक ही आवास में रहते हों अथवा पती–पत्नी सरकारी कर्मचारी हों तथा एक ही आवास में रहते हो अथवा एक परिवार के सदस्य एक ही स्थान पर कार्यरत्त हो तथा एक ही आवास में रहते हो तो आवास किराया भत्ता एक ही कर्मचारी की देय होगा इसके अतिरिक्त यदि परिवार के किसी सरकारी कर्मचारी को सरकारी आवास आबंटित हुआ है और अन्य परिवार के सदस्य सरकारी कर्मचारी इस आबंटित आवास में रहते हों तब भी आवास किराया भत्ता किसी भी सरकारी सदस्य को देय नहीं है परन्तु नगर परिषद द्वारा दस सन्दर्भ में निर्धारित प्रमाण पत्रों को प्राप्त नहीं किया है। अतः उक्त पाई गई त्रुटियों बारे तथ्यों सहित सम्पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाए तथा आवास किराया भत्तों की अदायगी से पूर्व उपरोक्त वर्णित पत्रो में अपेक्षित प्रमाण पत्र/संयुक्त घोषणा पत्र प्राप्त करके संस्था स्त्तर पर इनकी उचित छानबीन सुनिष्चित की जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि श्री राजू सफाई कर्मचारी की पत्नी जो कि एस.डी0एम0 आफिस रोहड़ू में कार्यरत्त है से भी अपेक्षित प्रमाण पत्र/संयुक्त घोषण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। अतः उक्त कर्मचारी से संयुक्त घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए तथा यदि दोनों द्वारा आवास किराया भत्ता प्राप्त किया जा रहा है तब संयुक्त घोषणा पत्र के अनुसार किसी एक को किए गए अधिक भुगतान की वसूली सुनिष्चित करवाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 fpfdRlk ifrifr nkos ds vf/kd@vfu;fer Hkqxrku ds ckjs esa&

¼d½ okÅpj la[;k 11] ekg 8@2010 ds vUrxZr ₹704@&ds fpfdRlk ifrifr nkos dk vf/kd Hkqxrku½&

उपरोक्त वाऊचर की जांच करने पर पाया गया कि श्री कमलकान्त, सहायक प्रारूपकार को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹704/–का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः' अधिक भुगतान की ₹704/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए:–

dS'k eseks la0 o fn0	mipkjk/khu O;fDr dk deZpkjh ds lkFk lEcU/k	nokbZ@VSLV dk uke	jkf'k ftldk Hkqxrku fd;k x;k	jkf'k ftldk Hkqxrku ns; Fkk	vf/kd Hkqxrku	fVIi.kh
अल्ट्रा साडंड सैन्टर (निजि) आई0जी0एम0 सी0 षिमला कैष मैमो नं0 9520 दिनांक 23.5. 2010	श्रीमति गायत्री पत्नी	अल्ट्रा साउंड	400	200	200	यह टैस्ट चिकित्सक द्वारा दिनांक 18.5.10 को लिखा गया परन्तु निजि क्लीनिक में करवाए गए टेस्ट का भुगतान निर्धारित दर से नहीं किया गया।
चौहान मैडिकल सैन्टर रोहड़ू कैष मैमो नं0 903, दिनांक 17.4.10	स्वयं	आयुर्वेदिक दवाईयां (i) SYP. MANOL (ii)CAP. CIRROLIV (iii) TAB. NUPENTA	82 150 20	– – –	82 150 20	चिकित्सक द्वारा आर्युवेदिक दवाईयों की देय सूची में इन दवाईयों का नाम षामिल नहीं था।
–यथोपरि– कैष मैमो नं0 428, दिनांक 4.5.2010	स्वंय	–यथोपरि–	82 150 20	– – –	82 150 20	–यथोपरि–
				dqy tksM+	₹704	

¼[k½ okÅpj l[;k 12] ekg 8@2010 d vUrxr ₹959@& d fpfdRlk ifrifr nkok dk vf/kd Hkqxrku½&

उपरोक्त वाऊचर की जांच करने पर पाया गया कि श्री राकेष, सफाई कर्मचारी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में ₹959/– का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान ₹959/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

d'k eek l0 o fnukd	mipkjk/khu 0;fDr dk depkjh d lkFk lEcU/k	Ø; dh xbZ nokbZ dk uke	jkf'k ftldk Hkqxrku fd;k x;k	jkf'k ftldk Hkqxrku n; Fkk	vf/kd Hkqxrku	fVIi.kh
लोक सेवा मैडिकल स्टोर रोहड़ू कैष मैमों नं0 14423, दिनांक 22.5.10	रोहित (पुत्र)	SYP. GOLDCLAN SYP.ZEDEX SYP. PACIMAL	119.80 78.40 56.20 254	–	254	चिकित्सक द्वारा दवाइयां दिनांक 24.5.10 को लिखी गई परन्तु दिनांक 22.5.2010 को क्रय की गई जो कि सम्भव नहीं है।
मच्छान मैडिकल स्टोर रोहड़ू कैष मैमों नं0 531, दिनांक 19.4.2010	रोहित (पुत्र)	REM.CC.SYP	31	–	31	दवाई चिकित्सक द्वारा लिखी ही नहीं गई थी।
–यथोपरि– कैष मैमो नं0 1306, दिनांक 27.5.2010	दामिनी (पुत्री)	SYP. NOVAMOX SOSP.IBUSES IC	78 16 94	–	94	चिकित्सक द्वारा दवाईयॉ दिनांक 31.5.10 को लिखी गई परन्तु यह दवाईयॉ 3 दिन पूर्व ही दिनांक 27.5.10 को क्रय की गई जो कि सम्भव नहीं है।
–यथापेरि– कैष मैमो नं0	रोहित (पुत्र)	SYP. NOVAMOX	78	–	150	चिकित्सक द्वारा

3968, दिनांक 7.4.2010	SYP. PACIMOL SUSP. TIXILX	10 28.10 43.95 150			दवाईयां दिनांक 8.4.10 को लिखी गई परन्तु दिनांक 7.4.10 को खरीद गई जो कि सम्भव नहीं।
–यथापेरि– कैष मैमो नं0 3779, दिनांक 20.2.2010 स्वयं	TAB. FARCAN CANDID LOTION	253 42	– –	253 42	दवाई चिकित्सक द्वारा लिखी ही नहीं गई थी।
–यथोपरि– कैष मैमों नं0 3967 दिनांक 7.4.10 विकास (पुत्र)	TAB. NOVAMOX TAB. PACIMOL	73 5	– –	73 5	दवाईयां चिकित्सक द्वारा दिनांक 8.4.10 को लिखी गई परन्तु दिनांक 7.4.10 को खरीदी गई जो कि सम्भव नहीं।
–यथोपरि– कैष मैमों नं0 1709 दिनांक 11.6.10 विकास (पुत्र)	TAB. AZEE	32	–	32	दवाई चिकित्सक द्वारा लिखी ही नहीं गई थी।
–यथोपरि– कैष मैमों नं0 1923 दिनांक 19.6.10 दामिनी (पुत्री)	SYP. NOBEL PLUS	25	–	25	–यथोपरि–
			d¦y	₹959	

¼x½ okÅpj la[;k 11] ekg 3@2012 dk vUrxZr ₹830 dk fpfdRlk ifrifrZ nkok dk vf/kd Hkqxrku%&

उपरोक्त वाऊचर की जांच करने पर पाया गया कि श्री महेन्द्र, सफाई कर्मचारी को अपने पुत्र अभिषेक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹830/– का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया। चिकित्सा द्वारा दिनांक 22.11.2011 को SEROLOOGY Test लिखा गया था जिसे डॉ लाल पैथलैब्स नजदीक रिपन हासपिटल में करवाया गया। इस टैस्ट का ₹1130/–का भुगतान कैष मैमों सं0 4402 दिनांक 22.11.2011 द्वारा उक्त लैब को किया गया परन्तु कर्मचारी को भी उक्त टेस्ट का पूर्ण भुगतान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में कर दिया गया जबकि नियमानुसार अधिकतम ₹300/–ही देय थे। इस प्रकार ₹830/–

(₹1130–₹300) के अधिक भुगतान की वसूली उक्त कर्मचारी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

¼?k½ fpfdRlk ifrifr nkoks dk Hkqxrku fcuk vkfJrks dh lfp;k ,o l;Dr ?kks"k.kk i= ikIr fd, fcuk gh djuk&

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख का अवालोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद रोहड़ू द्वारा अपने कर्मचारियों को समय–2 पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों को उनके परिवार के सदस्यो के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावो का भुगतान आश्रितों सदस्यों की सूचियां प्राप्त किए बिना ही किया जा रहा है परिणामस्वरूप यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कर्मचारी द्वारा जिस व्यक्ति का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्राप्त किया जा रहा है वह वास्तव में कर्मचारी के परिवार का नियमानुसार आश्रित सदस्य है भी या नहीं। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों के पति–पत्नी सरकारी अथवा अर्धसरकारी सेवा में सेवारत है उनसे कोई भी संयुक्त घोषणा पत्र परिषद द्वारा प्राप्त नहीं किए गए है जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे पति या पत्नी द्वारा किसके द्वारा प्राप्त किए जाएगें। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आधे–अधूरे चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान बिना उचित जांच के किया जा रहा है तथा किए गए भुगतान की निगरानी रखने के लिए मैडिकल रजिस्टर का रख रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त पाई गई अहम त्रुटियों बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वर्णित अपेक्षित सूचियां व घोषणा पत्र कर्मचारियों से अभिलम्ब प्राप्त किए जाएं तथा जांच उपरान्त सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियॉ दर्ज करके नियमानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान करना सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में भी दिखाई जाए।

26 iU'ku Q.M o xP;Vh Q.M&

¼d½ हिमाचल प्रदेष नगर पालिका कर्मचारी (पैन्षन, ग्रेच्यूटी एवं सामान्य भविष्य निधि) नियम 2000 के नियम 3 (3) के अनुसार नगरपालिकाओं द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्थापित पैन्षन फण्ड व ग्रेच्यूटी फण्ड में क्रमषः 12% व 5% की दर से अंषदान किया जाना आवष्यक है। यह अंषदान कर्मचारियों के वेतनमान की अधिकतम स्त्तर पर गणना करके मासिक आधार पर जमा किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्न कर्मचारियों के लिए परिषद द्वारा ग्रेच्यूटी फण्ड में अंषदान निर्धारित दर 5% से अधिक

किया गया है जिसका उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अधिक भुगतान किए गए अंषदान का भरपाई आगामी मासों के अंषदान से करनी सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणाधीन अवधि से पूर्व या बाद में ऐसे अधिक अंषदान की गणना परिषद द्वारा अपने स्तर पर की जाए तथा इसका समायोजन भी तदानुसार आगामी मासो में सुनिष्चित किया जाए।

o:ru vof/k	de:pkfj;k dh l:0	o:ru eku o vf/kdre lhek	x:P;Vh Q.M e: fd;k x;k vfu;fer v:'knku	v:'knku tk v:f{kr Fkk ¼o:rueku d: vf/kdre dk 5%½	Hkjikbl@ lek;ktu ;kX; vf/kd v:'knku jkf'k
3/10 से 7/12 (29 मास)	9 (सफाई कर्मचारी)	4900–10680+जी0 पी0 1300 (वेतनमान का अधिकतम स्तर ₹10680)	₹29290 (₹1010X29 मास)	15486 (10680X5%)X29 मास (534X29)	₹13804

¼[k½ हिमाचवल प्रदेष नगर पालिका कर्मचारी (पैन्षन ग्रेच्यूटी एवं सामान्य भविष्य निधि) नियम 2000 के नियम 3 (3) के अनुसार नगर पालिकाओं द्वारा अपने वार्षिक बजट के 1% के बराबर अंषदान विभागीय प्रभार (डिपार्टमैन्टल चार्जिज) के रूप में स्थापित फण्ड में जमा किया जाना आवष्यक है परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में ऐसा कोई भी अंषदान फण्ड मे ंजमा नहीं किया गया था। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षणाधीन अवधि के अंषदान की बकाया ₹212710/–को सम्बन्धित फण्ड में जमा किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणाधीन अवधि से पूर्व की अवधि के बकाया अंषदान की गणना भी परिषद द्वारा अपने स्तर पर करके इस फण्ड में जमा करवाई जाए व भविष्य में नियमित प्रकार से इस प्रभार/अंषदान को फण्ड मे ंजमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

Ø0l0	foÙkh; o"kZ	ifj"kn dk dqy Lohd`r ctV	foHkkxh; iqHkkj dks Q.M esa ctV dk 1% dk cjkcj tek jkf'k	jkf'k tks tek dh tkuh vis{kr Fkh	de tek jkf'k
1	2010–11	9676000	षून्य	96760	96760
2	2011–12	11595000	षून्य	115950	15950
				Dqy tksM+	₹212710

¼x½ mfpr foÙkh; izcU/ku dk vHkko esa isU'ku Q.M o xzsP;qVh Q.M esa tek jkf'k ls yxHkx ₹113000@&dh vfrfjDr C;kt vk; ls ofpr gksukA&

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर परिषद रोहडू के पैन्षन फण्ड एवं ग्रेच्यूटी फण्ड में लाखों रूपये की राषि बिना उचित निवेष के बचत खातों मे ंपड़ी थी। इन फण्डों की पास बुकों का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह फण्ड माह 1/07 से प्रारम्भ किए गए थे तथा अब तक इनमें लाखों रूप्ये की राषि एकत्रित हो चुकी थी। यदि इस राषि को समय–2 पर उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा मे निवेष किया जाता तो इससे परिषद को अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्रापत हो सकती थी। अंकेक्षणाधीन अवधि में ब्याज की आय की हुई हानि की लगभग ₹113000/–का आंकलन नीचे दिया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त फण्डों में एकत्रित राषि मे ंसे समुचित भाग को उचित भागों में बांटकर सावधि जमा में निवेष किया जाए ताकि आवष्यकता पडने पर किसी एक सावधि जमा निवेष को समय पूर्व भुनाया जा सके तथा अन्य निवेषों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त हो सके।

Ø0l0	iR;d o"k vd{k.kk/khu vof/k e 31 ekp dk iU'ku o xP;Vh Q.M e ,df=r jkf'k	,df=r jkf'k dk 90% tk fd lkof/k tek e o"k nj o"k tek fd;k tk ldrk Fkk	5% vfrfjDr C;kt dh nj ls iklr gkus okyh vk; dh gkfu ¼,d o"k dk fy,½
1	दिनांक 31.3.10 ₹1037603	लगभग ₹930000	लगभग ₹47000
2	दिनांक 31.3.11 ₹1547156	लगभग ₹1300000	लगभग ₹66000
		dy tkM	₹113000

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 31.3.2012 को ₹2183075/–(पैन्षन फण्ड में ₹1486170 व ग्रेच्यूटी फण्ड में ₹696905) षेष थे। अतः परामर्ष दिया जाता है कि संस्था स्त्तर पर आवष्यकता अर्थात वास्तविकता को ध्यान में रखकर तथा संस्था स्त्तर पर निर्णय लेकर इस राषि का लगभग 90% भाग ₹1964000/–की एक वर्ष के लिए राषि को विभिन्न भागों में बांट कर सावधि जमा में निवेष किया जाए ताकि लगभग 5% अतिरिक्त ब्याज आय के रूप में लगभग ₹100000/–की अधिक राषि प्राप्त की जा सके। इसके साथ ही भविष्य में भी इस राषि के निवेष हेतु नियमित कदम उठाने के उचित प्रयास सुनिष्चित किए जाएं।

¼?k½ अभिलेख का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों के पैन्षन फण्ड एवं ग्रेच्यूटी फण्ड का वर्षवार लेखा तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में इन फण्डों में समय–2 पर कितनी राषि/अंषदान जमा हुई है की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त पाई गई त्रुटि बारे स्पष्टीकरण दिया जाए तथा उपरोक्त फण्डों का प्रारम्भ से अपेक्षित वर्षवार लेखा तैयार किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

27 uxj ifj"kn dh vk;%&

नगर परिषद रोहड़ू द्वारा अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय का अवलोकन करने पर पाया गया कि यदि परिषद द्वारा निम्नलिखित आय लेखा षीर्षों के अन्तर्गत आय में बढ़ौतरी हेतु प्रयास किए जाएं तो इसकी वित्तीय स्थिति की और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायता मिल सकती हैः–

¼d½ नगर परिषद की सीमा के भीतर स्थापित वधषालाओ मे प्रति नग ₹10/–उपकर/सैस निर्धारित है। लेखा परीक्षा को अवगत करवाया गया कि विगत कई वर्षों से इस उपकर को नहीं बढ़ाया गया है। अतः सुझाव दिया जाता कि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करके इस उपकर मे ंवर्तमान बाजार भाव/दर को ध्यान में रखते हुए उचित बढ़ौतरी करनी सुनिष्चित की जाए।

¼[k½ नगर परिषद की सीमा के भीतर सिचांई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन व्यक्तियों को पानी के कनैक्षन स्वीकृत किए जाते है परन्तु पानी की पाईपें बिछाते समय परिषद की सड़को एव संस्तों की खुदाई के चार्जिज परिषद द्वारा प्राप्त नहीं किए जा रहे है। स्वेच्छा से यदि कोई परिषद से इस सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने आता है तो व्यक्ति उससे ही ऐसे चार्जिज प्रापत किए जा रहे है। अतः मामला उक्त विभाग से उठाया जाए तथा यह भी सुनिष्चित करवाया जाए कि पानी के कनैक्षन स्वीकृत करने से पूर्व सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए परिषद से अपेक्षित अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया जाए। इस सम्बन्ध मे ंपरिषद द्वारा प्रस्ताव पारित करके उक्त विभाग व जनसाधारण को सूचित किया जाए ताकि इस प्रकार से होने वाली हानि सें बचा जा सके।

¼x½ नगर परिषद सीमा के भीतर अपने दो टॉपलट ब्लाकों को बिना नीलामी/बोली के सीधे ही ठेके/मासिक किराए पर संचालन हेतु माह 1/09 में आबंटित कर दिया गया तथा इनका मासिक किराया मात्र ₹1500/– व ₹500/– था। अतः ऐसे अनियमित आबंटन को तुरन्त रद्द किया जाए तथा इनकी नीलामी करके इन्हें सबसे अधिक बोलीदाता को आबंटित किया जाए तथा भविष्य में निर्धारित अन्तराल पर इनके किराए में उचित बढ़ौतरी करनी भी सुनिष्चित की जाए।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर अपेक्षित प्रयास/कार्रवाई उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

28 LVkj o LVkd oLrqvk d LVkd dk iR;{k lR;kiu u djuk%&

नियमानुसार सभी स्टोर व स्टॉक की वस्तुओं का वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना आवष्यक है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेष नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अनुसार भी नगर परिषद की चल व अचल सम्पति की सत्यापना 3 वर्षों में एक बार मैम्बर कमेटी के सदस्यों द्वारा की जानी अपेक्षित है बषर्ते कि मैम्बर इसके लिए दोबारा तैनात न किया गया तो परन्तु अंकेक्षण के दौरान जांच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद रोहड़ू द्वारा स्टोर व स्टॉक वस्तुओं का ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया तथा न ही चल व अचल सम्पित्त का कोई रजिस्टर इत्यादि तैयार किया गया पाया गया जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा नियमानुसार स्टोर व स्टॉक वस्तुओं तथा चल व अचल सम्पति का रजिस्टर अभिलेख तैयार करवाकर चल व अचल सम्पति का आवष्यक प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाए तथा इसकी अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

29 y/kq vkifŸk fooj.kh%& यह अलग से जारी नही की गई

30 fu"d"k%& लेखों में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)64/76 दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

i`thd`r %& 1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहड़ू जिला षिमला हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करें।

2. निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–171002,

3- वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला–171003.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

ifjf'k"V ¼A½ i`jk l[;k 1 ¼x½ d lUnHk e

¼d½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 4@78 ls 03@81

1	पैरा 2 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 2 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (ए से एच)	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा 11 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(सी)	अनिर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत

¼[k½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 04@81 ls 03@82

1	पैरा 3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 3 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 3 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 3 (डी)	अनिर्णीत
5	पैरा 5 (ए)	अनिर्णीत
6	पैरा 5 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 6 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा 6 (बी)	अनिर्णीत

9	पैरा 6 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा 7 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा 7 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा 7 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा 7 (डी)	अनिर्णीत
14	पैरा 7 (जी)	अनिर्णीत
15	पैरा 7 (एच)	अनिर्णीत
16	पैरा 7 (आई)	अनिर्णीत
17	पैरा 9	अनिर्णीत
18	पैरा 10	अनिर्णीत
19	पैरा 11 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा 11 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा 12	अनिर्णीत
22	पैरा 14	अनिर्णीत
23	पैरा 15	अनिर्णीत
24	पैरा 16	अनिर्णीत
25	पैरा 17	अनिर्णीत
26	पैरा 18	अनिर्णीत
27	पैरा 19	अनिर्णीत

¼x½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@82 ls 03@92

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10 (क से ङ)	अनिर्णीत

9	पैरा 11 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा 11 (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 11 (ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 11 (घ)	अनिर्णीत
13	पैरा 12 (ङ)	अनिर्णीत
14	पैरा 12 (च)	अनिर्णीत
15	पैरा 12 (झ)	अनिर्णीत
16	पैरा 12 (ञ)	अनिर्णीत
17	पैरा 12 (ट)	अनिर्णीत
18	पैरा 12 (ठ)	अनिर्णीत
19	पैरा 12 (ड)	अनिर्णीत
20	पैरा 12 (ढ) (1)	अनिर्णीत
21	पैरा 13	अनिर्णीत
22	पैरा 14	अनिर्णीत
23	पैरा 15 (क)	अनिर्णीत
24	पैरा 15 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा 16	अनिर्णीत
26	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत
27	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत
28	पैरा 18 (ख)	अनिर्णीत
29	पैरा 19	अनिर्णीत
30	पैरा 20	अनिर्णीत
31	पैरा 21	अनिर्णीत
32	पैरा 22	अनिर्णीत
33	पैरा 23 (क)	अनिर्णीत
34	पैरा 23 (ख)	अनिर्णीत
35	पैरा 23 (घ)	अनिर्णीत
36	पैरा 23 (ङ)	अनिर्णीत
37	पैरा 23 (च) (1)	अनिर्णीत

38	पैरा 23 (च) (2)	अनिर्णीत
39	पैरा 24 (क)	अनिर्णीत
40	पैरा 24 (ख)	अनिर्णीत
41	पैरा 25	अनिर्णीत
42	पैरा 26	अनिर्णीत
43	पैरा 29	अनिर्णीत

¼?k½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 04@92 ls 03@96

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 8 (घ)	अनिर्णीत
5	पैरा 10 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 10 (छ)	अनिर्णीत
7	पैरा 10 (ठ)	अनिर्णीत
8	पैरा 10 (ड)	अनिर्णीत
9	पैरा 10 (ण)	अनिर्णीत
10	पैरा 10 (त)	अनिर्णीत
11	पैरा 10 (थ)	अनिर्णीत
12	पैरा 10 (फ)	अनिर्णीत
13	पैरा 10 (ब)	अनिर्णीत
14	पैरा 10 (भ)	अनिर्णीत
15	पैरा 10 (र)	अनिर्णीत
16	पैरा 12	अनिर्णीत
17	पैरा 13 (i से vii)	अनिर्णीत
18	पैरा 13 (ix)	अनिर्णीत

¼3½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@96 ls 03@2007

1	पैरा 3 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा 3 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (3)	समाप्त (उत्तरानुसार)
4	पैरा 4 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (9)	समाप्त (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
6	पैरा 4 (11)	अनिर्णीत
7	पैरा 4 (12)	अनिर्णीत
8	पैरा 5 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा 5 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा 5 (4)	समाप्त (प्रस्तुत उत्तरानुसार)
11	पैरा 5 (7)	अंषतः समाप्त (क्रम सं0 1 से 3, 5 से 7, 9 व 10 ₹377/– की वसूली कर ली गई तथा क्रम सं0 4, 8, 11, 12 पर कार्रवाई करनी षेष है।
12	पैरा 5 (8)	
13	पैरा 5 (9)	अनिर्णीत
14	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा 6 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा 6 (5)	अनिर्णीत
18	पैरा 6 (7)	अनिर्णीत
19	पैरा 6 (8)	अनिर्णीत
20	पैरा 6 (9)	अनिर्णीत
21	पैरा 6 (10)	अनिर्णीत
22	पैरा 6 (15)	अनिर्णीत
23	पैरा 6 (16)	अनिर्णीत
24	पैरा 6 (17)	अनिर्णीत
25	पैरा 6 (18)	अनिर्णीत

26	पैरा 6 (19)	अनिर्णीत
27	पैरा 6 (20)	अनिर्णीत
28	पैरा 6 (22)	समाप्त (प्रस्तुत उत्तरानुसार)
29	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत
33	पैरा 7 (3)	अनिर्णीत
31	पैरा 7 (4)	अनिर्णीत
32	पैरा 7 (5) (1)	अनिर्णीत
33	पैरा 7 (5) (2)	अनिर्णीत
34	पैरा 7 (5) (3)	अनिर्णीत
35	पैरा 7 (5) (4)	अनिर्णीत
36	पैरा 7 (5) (5)	अनिर्णीत
37	पैरा 7 (5) (6)	अनिर्णीत
38	पैरा 7 (5) (7)	अनिर्णीत
39	पैरा 7 (5) (8)	अनिर्णीत
40	पैरा 7 (5) (9)	अनिर्णीत
41	पैरा 7 (5) (10)	अनिर्णीत
42	पैरा 7 (6)	अनिर्णीत
43	पैरा 7 (7)	अनिर्णीत
44	पैरा 7 (8) (1)	अनिर्णीत
45	पैरा 7 (8) (2)	अनिर्णीत
46	पैरा 7 (9) (1)	अनिर्णीत
47	पैरा 7 (9) (2)	अनिर्णीत
48	पैरा 7 (10) (1)	अनिर्णीत
49	पैरा 7 (10) (2)	अनिर्णीत
50	पैरा 7 (10) (3)	अनिर्णीत
51	पैरा 7 (11)	अनिर्णीत
52	पैरा 7 (12)	अनिर्णीत
53	पैरा 7 (13)	अनिर्णीत
54	पैरा 7 (14)	अनिर्णीत

55	पैरा 7 (15)	अनिर्णीत	
56	पैरा 7 (16)	अनिर्णीत	
57	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत	
58	पैरा 8 (3)	अनिर्णीत	
59	पैरा 9	अनिर्णीत	
60	पैरा 10 (3)	अनिर्णीत	

¼p½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@2007 l 3@2010

1	पैरा 3	समाप्त	
2	पैरा 4	समाप्त	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 5	समाप्त	(₹9466.81/–रोकड़ वही में लेखांकित कर लिये गए)
4	पैरा 6	समाप्त	(₹17714 मुख्य लेखा को हस्तांतरित कर दिये गये)
5	पैरा 7	समाप्त	(पूर्ण ऋण की वापिसी हो गई है)
6	पैरा 8	समाप्त	
7	पैरा 9	समाप्त	
8	पैरा 10	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित)
9	पैरा 11	समाप्त	(–यथोपरि–)
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13 (क)	अनिर्णीत	
12	पैरा 13 (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा 14	अनिर्णीत	
14	पैरा 15	अनिर्णीत	
15	पैरा 16	अनिर्णीत	
16	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा 17 (ग)	अनिर्णीत	

19	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत	
20	पैरा 18 (ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा 18 (ग)	अनिर्णीत	
22	पैरा 18 (घ)	अनिर्णीत	
23	पैरा 19 (क)	अनिर्णीत	
24	पैरा 19 (ख)	अनिर्णीत	
25	पैरा 20	अनिर्णीत	
26	पैरा 21 (क)	अनिर्णीत	
27	पैरा 21 (ख)	अनिर्णीत	
28	पैरा 21 (ग)	अनिर्णीत	
29	पैरा 22 (क)	समाप्त	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
33	पैरा 22 (ख)	अनिर्णीत	
31	पैरा 23	अनिर्णीत	
32	पैरा 24	समाप्त	(स्टॉक प्रविष्टि कर ली गई)
33	पैरा 25	समाप्त	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
34	पैरा 26	समाप्त	(–यथोपरि–)
35	पैरा 27 (क)	समाप्त	(₹216/–की वसूली कर ली गई। रसीद सं0 19/1840 दिनांक 18.08.2012)
36	पैरा 27 (ख)	अनिर्णीत	
37	पैरा 27 (ग)(घ)	अनिर्णीत	
38	पैरा 28	समाप्त	(वसूली रसीद सं0 19/1841 दिनांक 18.08.2012 के द्वारा कर ली गई)
39	पैरा 29	अनिर्णीत	
40	पैरा 30	अनिर्णीत	
41	पैरा 31	अनिर्णीत	
42	पैरा 32	अनिर्णीत	
43	पैरा 33	अनिर्णीत	
44	पैरा 34	अनिर्णीत	
45	पैरा 35	समाप्त	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)

46	पैरा 36	अनिर्णीत